

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजहैल्थ / 2026 /

दिनांक:-

समस्त संयुक्त निदेशक,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय:- राजहैल्थ पोर्टल पर अपडेशन के क्रम में ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्मिकों (चिकित्सक सहित) के सेवा रिकॉर्ड के ऑन लाईन संधारण हेतु राजहैल्थ पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर समस्त कार्मिकों एवं चिकित्सकों के द्वारा सेवा सम्बन्धी समस्त जानकारी अपलोड एवं सबमिट की जानी है, तत्पश्चात समस्त जानकारी को संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना है ।

अतः आपके अधीनस्थ पदस्थापित चिकित्सकों का पी.जी.हेतु चयन, स्थानांतरण, आदेशों की प्रतीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से चिकित्सालय/संस्था से कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व चिकित्सकों की राजहैल्थ पोर्टल पर प्रोफाईल अपडेट, सबमिट एवं अप्रूव की कार्यवाही के पश्चात ही कार्यमुक्त करते हुये चिकित्सक का अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र जारी किया जावे ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजहैल्थ / 2026 / 66-73

दिनांक:- 19/8/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, निदेशालय, मुख्यालय।
- 2-संस्थापन, अधिकारी, राजहैल्थ पोर्टल, निदेशालय, मुख्यालय।
- 3-प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करें ।

संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।